

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(22)नविवि / रानीवाड़ा / 2024

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को रानीवाड़ा (जिला—जालौर) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिये मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती है:-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	रानीवाड़ा कलां	RANIWADA KALAN	रानीवाड़ा
2.	देवपुरा	DEVPURA	रानीवाड़ा
3.	कोट की ढाणी	KOT KI DHANI	रानीवाड़ा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जालौर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व), जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रानीवाड़ा (जिला—जालौर)।
- प्रौग्नामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
9711427

शासन उप सचिव—प्रथम